झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 20 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी एवं अन्य, ग्राम- चेचरिया, पो0- ऊँटारीरोड, पलामू ।

DISPOSED 19/04/23.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद-20/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10.04.2023	शिकायतकर्ता श्री गनौरी मेहता, श्रीमती निर्मला देवी एवं अन्य, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुरमाकला, प्रखण्ड–ऊंटारी रोड, जिला–पलामू का अपील आवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनसे अंगूठा लगवाकर उन्हें माह अप्रैल एवं मई, 2022 का राशन नहीं दिया गया। यह भी कि उनका राशन कार्ड माह जून में PDS डीलर महिला रक्षा समूह, चेचरिया, अनुज्ञप्ति सं0–08 / 2009 एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की मिलीभगत से रद्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक–10.01.2023 को DGRO, पलामू को शिकायत की गई थी, किन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में DSO, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। 10.4.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 10/04/2023 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx33	